



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या-पं0नि0 30-108/2024

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
बेगूसराय।

पटना, दिनांक-

विषय:- रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 2164 दिनांक 29.08.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्रों से आयोग को प्रखंड बछवाड़ा के ग्राम पंचायत रानी-01, रूदौली के उप मुखिया की मृत्यु होने एवं प्रखंड भगवानपुर के ग्राम कचहरी काजी रसलपुर के उप सरपंच की मृत्यु होने के फलस्वरूप उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के अधीन निम्न कार्यक्रम के अनुसार उप मुखिया/उप सरपंच का निर्वाचन संपन्न कराने को निदेश दिया गया है :-

प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी	रिक्त पद का नाम	निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि
बछवाड़ा	रानी-01	उप मुखिया	26.09.2025
	रूदौली	उप मुखिया	25.09.2025
भगवानपुर	काजी रसलपुर	उप सरपंच	26.09.2025

3. कृपया उप मुखिया/उप सरपंच के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप मुखिया/उप सरपंच के निर्वाचन हेतु दिनांक 21.09.2025 तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप मुखिया/उप सरपंच को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक 19.09.2025 के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय को भी दी जा रही है।

5. उप मुखिया/उप सरपंच के निर्वाचन की सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडियोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप मुखिया/उप सरपंच के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. विदित हो कि प्रखंड बछवाड़ा ग्राम पंचायत रानी-01 एवं रूदौली के उप मुखिया की मृत्यु दिनांक 12.08.2023 जो दो वर्ष से अधिक का समय एवं प्रखंड भगवानपुर ग्राम पंचायत काजी रसलपुर के उप सरपंच की मृत्यु लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक का समय बाद निर्वाचन हेतु आयोग को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अतः विलम्ब हेतु जिम्मेवार संबंधित पदाधिकारी/कर्म की पहचान कर उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त की जाए एवं नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित की जाय।

8. अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

पटना, दिनांक -

ज्ञापांक पं0नि0 30-108/2024-

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक पं0नि0 30-108/2024-

प्रतिलिपि : निर्वाचन स्थापना शाखा को पत्र की कंडिका-07 के संदर्भ में अग्रेतर कार्रवाई हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

पटना, दिनांक -